

आम ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र

आज दि 03/09/15 को ग्राम पंचायत वीगा की आम खुली बैठक ने समस्त ग्रामवासियों के समक्ष आह्वान की गयी जिसमें वीगा से ब्यापणगाव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य इस समरक्षण के समक्ष में विचार विमर्श किया गया है कि अधिशारी अभियन्ता प्रतीम खण्ड लखनौ के भटवाड़ी उत्तरकाशी के द्वारा जो उक्त मोटर मार्ग का समरक्षण किया गया है उक्त समरक्षण को सर्वसाधारण सहमत के आधार पर सही पाया गया है। हम समस्त ग्रामवासी मोटर मार्ग के समरक्षण से सहमत हैं कि आम पंचायत की सिविल संधम वन भूमि नाप भूमि, आम पंचायत भूमि तथा आरक्षित वन भूमि को सर्व सहमत के मोटो को निर्माण हेतु देने को सहमत है क्योंकि इसमें न्यूनतम वृक्षा की क्षति होगी।

आज की बैठक को ग्राम सभा के बैठक रजिस्टर के क्रमांक 02 में प्रस्ताव सं 01/02 के रूप में दर्ज किया गया है।

(Faint stamp and signature)

Prakash
 प्रमाण
 आम पंचायत- वीगा
 विकास खण्ड - भटवाड़ी
 जलपद - उत्तरकाशी

सदन सचिव
 सदन अध्यक्ष - कोटियागांव
 विच्छा - भटवाड़ी, जि० उत्तरकाशी

आज की बैठक को ग्राम सभा के बैठक रजिस्टर के क्रमांक 02 में प्रस्ताव सं 01/02 के रूप में दर्ज किया गया है।

क्र. सं.	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर	कम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर
0	गिराज	गिराज सिंह महर	09	आरती महर	Arathi
1	अरवि सिंह सतव	Aravind	10	श्रीकलम सिंह	Kalman
2	विजय सिंह	Vijay	11	विष्णु पाटी	Vishnu
3	अरवि सिंह महर	Aravind	12	सुप्रभाति महर	Suprati
4	निमल महर	Nimal	13	जयलाल सिंह	Jaylal
5	प्रताप सिंह महर	Pratap	14	विकास महर	Vikas
6	नीलाद्री	Neeladri	15	श्रीवत्सल महर	Shrivatsal
7	सोनिम	Sonim	16	कविता महर	Kavita
8	गोपाल देवी	Gopali			
9	दशरथ महर	Dashrath			

गोपाल देवी
 दशरथ महर
 -प्रमाण-

आम ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र

ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर	कम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर
शैलेश सिंह महर	शैलेश सिंह	37	अमित रावत	amkit
शुदेश सिंह महर	शुदेश	38	चमन सिंह महर	चमन
शकेश सिंह महर	Rakesh	29	अनिल सिंह महर	अनिल
कुला माली महर	कुला महर	40	अनिल महर	अनिल
कृष्णा देवी	कृष्णा	41	लक्ष्मी देवी	laxmi
लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी	42	गोविन्द	govi
गोकुलविहारी चोहान	गोकुलविहारी	43	रोशन	Roshan
पूजा	पूजा	44	विष्णु महर	Visnu
पूनाम	Poonam	45	भावती महर	Bhavati
कविता	Kalita	46	सतोष चोहानी	Satish
दीपा	Deepa	47	सुभाष	Sushash
मीसती मुन्नी देवी	मुन्नी	48	वीर सिंह	Vir
सुकता देवी	सुकता	49	अमित	amit
अमित देवी	अमित	50	मंगल सिंह महर	Mangal
अमित रावत	अमित	51	सुरेश प्रसाद	Suresh
प्रीती रावत	प्रीती	52	बलवंत सिंह	Balwant
साक्षी रावत	साक्षी रावत	53	बलमानन्द	Balmanand
राज सिंह महर	राज	54	सोहन रावत	Sohan
गुणवती देवी	गुणवती	55	सुभाष देवी	Sushash
सुमेल देवी	सुमेल	56	पुनम देवी	Punam

ग्राम पंचायत के अध्यक्ष
 श्री. राजेश महर
 ग्राम पंचायत कार्यालय
 ग्राम, तालुका, जिला

आम ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र

क्रम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर	क्रम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर
57.	चिरंजीव नेगी				
58.	श्री हनुमानन्द	श्री हनुमानन्द			
59.	कुंय लाल	कुंय लाल			
60.	कुंय लाल	कुंय लाल			
61.	दिनेश सिंह	दिनेश सिंह			
62.	कालचरण	कालचरण			
63.	कुंय लाल	कुंय लाल			
64.	गणेश सिंह गुर्जर	गणेश सिंह गुर्जर			
65.	विजय शर्मा	विजय शर्मा			
	अरुण प्रसाद शर्मा	अरुण प्रसाद शर्मा			
	नरेश कुमार शर्मा	नरेश कुमार शर्मा			
	राम नाथ प्रसाद शर्मा	राम नाथ प्रसाद शर्मा			
	शिवजी लाल शर्मा	शिवजी लाल शर्मा			
	असुरका देवी शर्मा	असुरका देवी शर्मा			
	विजय प्रसाद शर्मा	विजय प्रसाद शर्मा			
	मोहन प्रसाद शर्मा	मोहन प्रसाद शर्मा			

परियोजना का नाम :- मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में भटवाड़ी में बौगा से कियांगगाव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 1.350 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 2.0तक)।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम :- बौगा।
तहसील :- भटवाड़ी, जिला - उत्तरकाशी।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा से कियांगगाव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 1.350 है० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, भटवाड़ी/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यवर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।


उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बौगा द्वारा दि० ०३/०९/१५ को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वनाधिकारी अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सहमति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बौगा,कियांगगाव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, भटवाड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ग्राम सचिव



ग्राम पंचायती - बौगा
विकास प्रखण्ड - भटवाड़ी
जनपद - उत्तरकाशी

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- श्री. मु. मन्जी जी के छोपणा के अन्तर्गत जनपद स्तरीय
विष्णु खण्ड भन्वाडी से वीगा से ब्याण जांव तक मोटर मार्ग का
निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भन्वाडी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, भन्वाडी

उपखण्ड भन्वाडी परिक्षेत्र के अन्तर्गत वीगा से ब्याण जांव तक मोटर मार्ग

(हे० आरक्षित वन भूमि, 0-585 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0-165 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1-350 हे० वन भूमि) का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भन्वाडी) की दिनांक 21/11/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री , उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री श्री. उमेश उपजिलाधिकारी भन्वाडी अध्यक्ष
- 2- श्री श्री. राजेश उप प्रभागीय वनाधिकारी भन्वाडी सदस्य
- 3- श्री श्री. सुरेश सहायक समाज कल्याण अधिकारी भन्वाडी सदस्य/सचिव
- 4- श्री श्री. सुरेश वी०डी०सी० क्षेत्र वीगा से ब्याण जांव तक मोटर मार्ग सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

श्री. मु. मन्जी जी के छोपणा के अन्तर्गत जनपद स्तरीय विष्णु खण्ड भन्वाडी से वीगा से ब्याण जांव तक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1-350 हे० वन भूमि नि० लि० भन्वाडी

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

भन्वाडी से वीगा से ब्याण जांव तक मोटर मार्ग परियोजना

वैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अटवाही परिक्षेत्र के अन्तर्गत

परियोजना के निर्माण हेतु ...1.350,,
हेठ वन भूमि ~~प्रयोक्ता~~ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- अटवाही
जनपद हतर काशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- अटवाही
जनपद हतर काशी

कार्यालय उप जिलाधिकारी...
 उप खण्ड स्तरीय समिति.....

आज दिनांक... 27/11/2015..... को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड... में दौडा... से... मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 1:350... है। के सम्बन्ध में वन अधिनियम-2006 एवं नियम- 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी... की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1-	श्री हरि शर्मा	उप जिलाधिकारी... 27/11/2015	
2-	श्री अशोक...	उप प्रभागीय वनाधिकारी... 27/11/2015	
3-	श्री अशोक...	सहायक समाज कल्या अधिकारी... 27/11/2015	
4-	श्री अशोक...	वी०डी०सी०के. पंचायत सदस्य... 27/11/2015	

FORM-I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Uttarkashi.

Name of Project:- Motor Road Construction of Bigradi to Kanda.

No...92/15.....

Dated...2-12-2015

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt-) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th february 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.350 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction Division P.W.D. Bhatwari in Uttarkashi District falls within jurisdiction of Bonga village in Bhatwari tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.350 hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee (s) Gram sabha (s) Sub-Division Level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal groups and agricultural communities.

As above


(G. S. Rawat)
District Magistrate,
Uttarkashi.
Uttarakhand


ANNEXURE**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Uttarkashi(U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. G.S.Rawat District Magistrate Uttarkashi on date 02-12-2015 at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring 1.350 hect for **Construction of Bonga to Kyaangaun Motor Road** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Bhatwari sub division** were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Uttarkashi
Dated:..2..12..15


District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
Uttarkashi.

It is certified that- Minutes of meeting of Bonga to Kyaangaun motor road Regarding FRA is as following:-

Sr.n o.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 1.350 Het. of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right Committee (s), Gram Sabha (s), sub division level committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerns villages regarding construction of aforesaid Motor road attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached and there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

(S.S. Rawat)

District Magistrate-cum-Chairman



District Level Committe

उत्तराखण्ड

डिस्ट्रिक्ट

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
जिला स्तरीय समिति
जिला- उत्तरकाशी

जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री मे भटवाडी में बौगा से कियाणगाव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 1.350 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध मे वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति।

क्र० सं०	अधिकारी/जिलापंचायत सदस्य का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री. जति प्रसाद	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।	
2	श्री विजय बहादुर	प्रमाणीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।	
1	श्री मदन लाल कोषवाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।	
	श्रीमती सीमा राणा	जिला पंचायत सदस्य, उपला बाड़ागड्डी।	सीमा राणा
	श्रीमती मंगला राणा	जिला पंचायत सदस्य, नाल्ड कवूड।	
	श्रीमती अनिता गुसाई	जिला पंचायत सदस्य, कन्सैण	अनिता गुसाई